राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 27-09-2011 से 04-10-2011 के दौरान गुजरात राज्य/जिलों में आरक्षण नीति व विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के क्रियान्वयन के प्रबोधन एवं समीक्षा की रिपोर्ट।

(1) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 28-9-2011 को केवडिया, जिला नर्मदा (गुजरात) में ली गई जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

डा. रामेश्वर उरॉव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 28-9-2011 को केवडिया, जिला नर्मदा में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें आयोग द्वारा जिले में अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की समस्याओं के बारे में चर्चा की गई । बैठक में श्रीमती के. कमला कुमारी एवं श्री बी.एल. मीणा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली भी उपस्थित थे। आयोग की ओर से बैठक में श्रीमती के.डी. बंसोर, उप निदेशक एवं श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक भी उपस्थित थे। बैठक में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, अनुसूचित जनजाति वर्ग के जन प्रतिनिधि तथा आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

बैठक के प्रारंभ में जिला कलेक्टर ने आयोग के पदाधिकारियों का स्वागत किया। तत्पश्चात् बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई जिसमें निम्नलिखित बिन्दु सामने आए:

i) शिक्षा-चर्चा प्रारंभ करते हुए डा. रामेश्वर उरॉव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आयोग के दौरे का उद्देश्य स्पष्ट किया और बताया कि अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं जन प्रतिनिधियों के माध्यम से आयोग को अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं एवं उनके लिए चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों में सामने आ रही समस्याओं को समझने का अवसर प्राप्त होता है। जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों के माध्यम से जिले में आदिवासी विकास से जुड़े कार्यक्रमों की स्थिति के बारे में आयोग को जानकारी मिलती है। उन्होंने आदिवासी समाज में शिक्षा के प्रसार को आदिवासी विकास का सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु बताया और बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों से यह जानना चाहा कि आदिवासियों में शिक्षा के प्रसार के लिए क्या किया जाना चाहिए। इस पर निम्नलिखित सुझाव दिए गए:

(क) अनुसूचित जनजाति के बालक-बालिकाओं की शिक्षा के लिए और अधिक आवासीय विद्यालय बनाए जाने चाहिए। इन विद्यालयों को उत्कृष्ट कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों की सहायता से चलाया जाना चाहिए।

(ख) वर्तमान आवासीय विद्यालयों में सीटों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए तथा छात्र छात्राओं के लिए सुविधाएं भी बढ़ाई जानी चाहिए।

डा. रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

Rameshwar Oraon

ग) आदिवासी बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा का महत्व समझाया जाना चाहिए ताकि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजने को प्रेरित हों।

घ) पाठ्यक्रम को रोचक बनाया जाना चाहिए ताकि बच्चों की सीखने में रूचि उत्पन्न हो।

आयोग के माननीय अध्यक्ष ने इससे सहमति व्यक्त की और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि नामांकन करा लेने से ही यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि आदिवासी बच्चे नियमित रूप से विद्यालय आएंगे तथा पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ेंगे। जिला कलेक्टर ने आयोग को राज्य सरकार के गुणोत्सव कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी तथा शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों से अवगत कराया। जिला विकास अधिकारी ने भी स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने तथा शिक्षकों की भर्ती किए जाने के बारे में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

बैठक में उपस्थित आदिवासी प्रतिनिधियों ने जिले में विज्ञान की शिक्षा हेतु स्कूलों एवं कालेजों के न होने की ओर आयोग का ध्यान दिलाया। आयोग को यह अवगत कराया गया कि जिले में केवल कला महाविद्यालय ही है तथा आदिवासी बच्चों को विज्ञान की पढ़ाई हेतु जिले से बाहर जाना पडता है। उन्होंने डेडिया पाडा एवं सागबारा में विज्ञान कॉलेज खोलने की मांग की एवं आयोग को अवगत कराया कि तिलकवाड़ा में तीन वर्ष पूर्व विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने हेतु इन्टरमीडिएट स्तर का स्कूल खोला गया था किन्तु उसमें आज तक न तो विज्ञान शिक्षक पदस्थ किए गए है और न ही कोई प्रयोगशाला है। कुछ जन प्रतिनिधियों ने यह शिकायत की कि गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित एकलव्य मॉडल स्कूलों को प्रति छात्र लगभग 29,000/– रू प्रति वर्ष अनुदान भारत सरकार से प्राप्त होता है किन्तु उनके द्वारा पूरी राशि छात्रों पर व्यय नहीं की जाती है एवं प्राप्त राशि का दुरूपयोग किया जाता है। कुछ अन्य प्रतिनिधियों ने आदिवासी छात्र–छात्राओं को अंग्रेजी तथा कम्प्यूटर की शिक्षा दिए जाने पर बल दिया ताकि उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके। आयोग के माननीय अध्यक्ष ने इस पर सहमति व्यक्त की और जिला कलेक्टर को निर्देश दिया कि विज्ञान की पढ़ाई हेतु इन्टरमीडिएट स्तर के विद्यालय एवं कॉलेज खोलने हेतु राज्य सरकार के साथ आवश्यक कार्यवाही की जाए। साथ ही एकलव्य मॉडल स्कूलों को प्राप्त होने वाले अनुदान के व्यय की समीक्षा भी करवाई जाए। उन्होंने तिलकवाड़ा में विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने हेतु विद्यालय में विज्ञान शिक्षकों की तैनाती करने एवं प्रयोगशाला खोले जाने का निर्देश दिया।

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

आयोग ने बैठक में प्राप्त जानकारी के आधार पर यह पाया कि जिले में अनुसूचित जनजातियों में सामान्य वर्ग की तुलना में शिक्षा का प्रतिशत काफी कम है। अनुसूचित जनजातियों में पुरूषों की तुलना में महिला साक्षरता काफी कम है। आयोग ने आदिवासियों में शिक्षा के प्रचार हेतु और अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता बताई। साथ ही शिक्षकों के रिक्त पद भरने का भी निर्देश दिया। जिला कलेक्टर ने आयोग को जानकारी दी कि जिले में पढ़ाई हेतु बच्चों के नामांकन की कोई समस्या नहीं है किन्तु विद्यालय में बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने की समस्या आ रही है क्योंकि रोजगार की तलाश में आदिवासी लोग बड़े शहरों की ओर जाते हैं तथा अपने बच्चों को भी साथ ले जाते है। इससे वे विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रह पाते। उन्होंने कहा कि आवासीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाकर ही इन बच्चों को समुचित शिक्षा दी जा सकती है।

3) स्वास्थ्य-- माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिले में अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी चर्चा की। बैठक में आयोग को अवगत कराया गया कि जिले में 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 135 उप केन्द्र हैं। साथ ही 3 मोबाइल यूनिट भी कार्य कर रही हैं। चिकित्सकों की उपलब्धता के बारे में पूछे जाने पर अवगत कराया गया कि सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक उपलब्ध हैं कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों पर आयुष चिकित्सकों से काम चलाया जा रहा है। बैठक में यह भी बताया गया कि कुछ गांवों में बरसात के मौसम में पहुंचना संभव नहीं हो पाता तथापि जिला प्रशासन द्वारा ऐसे गांवों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है ताकि वे आकस्मिक स्थिति को संभाल सकें। श्रीमती के. कमला कुमारी, सदस्य ने जानना चाहा कि क्या जिले में स्त्री रोग विशेषज्ञ पर्याप्त संख्या में है? इस पर जानकारी दी गई कि जिले में 6 स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं । यह संख्या पर्याप्त नहीं है। फिर भी जिले में संस्थागत प्रसव में वृद्वि हुई है। बैठक में यह स्वीकार किया गया कि चिकित्सा विशेषज्ञों के कई पद रिक्त हैं। आदिवासियों में मुख्य बीमारियों के बारे में पूछने पर आयोग को अवगत कराया गया कि सिकल सेल एनिमिया की बीमारी ज्यादा पाई जाती है। साथ ही तापी, सूरत, नवसारी, भरूच एवं डांग जिलों में धान के खेतों में काम करने जाने वाले आदिवासी मजदूरों में लेप्टोस्पाइरिसिस की बीमारी के कई मामले सामने आए हैं जिनमें लगभग 150 मजदूरों की मृत्यु हुई है।

बैठक में उपस्थित जन प्रतिनिधियों ने आयोग को अवगत कराया कि जिला अस्पताल, व्यारा में भी सभी रोगों के विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है तथा रोगियों को वड़ोदरा रिफर कर दिया जाता है। डेडियापारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी चिकित्सा विशेषज्ञ नहीं हैं। चिकित्सक आदिवासी क्षेत्रों में काम नहीं करना चाहते। कुछ प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

भ्रष्टाचार की शिकायत की। आयोग की ओर से सुझाव दिया गया कि आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले चिकित्सकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि वे प्रेरित हो सकें। इन क्षेत्रों में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाना चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन की शिकायतों की जांच की जाए।

3) विद्युतीकरण– आयोग ने अनुसूचित जनजातियों के लिए बिजली की सुविधा की उपलब्धता पर भी चर्चा की। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने आयोग को अवगत कराया कि आदिवासी किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। विशेषकर डेडियापारा एवं सागबाडा ब्लॉकों में यह समस्या ज्यादा है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में विगत तीन वर्षों से कार्य चल रहा है तथा लगभग 37,000 घरेलू कनेक्शन दिए गए हैं जिनमें से 45 प्रतिशत लोग बी पी एल परिवारों से हैं। इसके लिए पांच साल पहले सर्वेक्षण किया गया था किन्तु बहुत से लोग छूट गए हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में ठेकेदार के माध्यम से काम कराया जा रहा है जो साधारणतः काम अच्छा नहीं है। आयोग के अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि इस संबंध में पुनः सर्वेक्षण कराया जाना उचित होगा क्योंकि यह एक सतत् प्रक्रिया है। अनुसूचित जनजाति के पात्र लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाए। साथ ही सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने के मामले में सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निपटान किया जाए।

4) वन अधिकार अधिनियम– आयोग ने जिले में वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 17,783 दावे प्राप्त हुए थे जिनमें से 4,310 दावों को मान्य किया गया है। लगभग 7,000 दावों की जांच की जा रही है। बाकी को अमान्य किया गया है। पूर्व के आदेशों एवं इस अधिनियम के तहत मान्य दावों सहित अब तक जिले में 7,064 हितग्राहियों को लगभग 9909.95 हेक्टर क्षेत्र का अधिकार दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि अमान्य किए गए दावों की संख्या अधिक है तथा दावा कर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाणों के आधार पर उदारतापूर्वक इन लंबित मामलों का निपटान किया जाए।

5) रोजगार– बैठक में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि जिले में अनुसूचित जनजाति के कुल 6,468 शिक्षित बेरोजगारों द्वारा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण कराया गया है जिनमें से 4,550 पुरूष एवं 1,918 महिला हैं। आयोग ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि इनमें से 3858 व्यक्ति कुशल हैं किन्तु उन्हें रोजगार नहीं मिला है। साथ ही 1,451 ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। आयोग ने सुझाव दिया कि यदि इन्हें बाजार की मांग के अनुसार

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

विशिष्ट कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाए तो इन्हें रोजगार प्राप्त हो सकता है। आयोग ने इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाने का निर्देश दिया।

(vi) अन्य विषय– बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कियान्वयन पर भी चर्चा हुई। आयोग को यह अवगत कराया गया कि इस योजना के अंतर्गत परिवार को इकाई मानकर वर्ष में 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। यह सुझाव दिया गया कि परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को इस योजना में कम से कम 100 दिनों का रोजगार पाने की पात्रता दी जानी चाहिए। यह भी बताया गया कि इस योजना में कराए जा रहे कार्यों में जे सी बी मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। इस योजना से आदिवासी मजदूरों का पलायन कुछ हद तक ही रुका है क्योंकि अन्य स्थानों पर मजदूरी अधिक मिलती है। कुछ अन्य जन प्रतिनिधियों ने शिकायत की कि कई स्थानों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पा रहा है। आयोग को यह भी शिकायत की गई कि चार वर्ष पूर्व राजपीपला में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए अंबेडकर भवन का शिलान्यास हुआ था किन्तु आज तक उसका निर्माण नहीं हो सका है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिला कलेक्टर से इन सभी शिकायतों का शीघ्र निवारण करने का अनुरोध किया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिले के सभी अधिकारियों से अनुरोध किया कि अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर और अधिक ध्यान देकर के साथ कार्य करें क्योंकि यदि समाज का एक तबका विकास के लाभ से वंचित रह जाता है तो इससे असमानता और असंतोष पैदा होता है। समावेशी विकास ही सामाजिक न्याय प्रदान कर सकता है।

बैठक की अंत में जिला कलेक्टर ने आयोग के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया तथा आश्वासन दिया कि आयोग द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

2) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के दिनांक 28–9–2011 को ग्राम पंचला, तालुका नानोद, जिला नर्मदा (गुजरात) के स्थलीय दौरे की रिपोर्ट।

...

डा. रामेश्वर उरॉव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने दिनांक 28 9–2011 को नर्मदा जिले के नानोद तालुका के आदिवासी बहुल गांव पंचला का स्थलीय दौरा । ग्रामवासियों के साथ जिला कलेक्टर एवं अन्य स्थानीय अधिकारियों की उपस्थिति में एक बैठक की जिसमें अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के बारे में चर्चा की गई । बैठक में श्रीमती के. कमला कुमारी एवं श्री बी.एल. मीणा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली भी उपस्थित थे।यह बैठक गांव की मिडिल स्कूल में रखी गई थी। ग्राम की सरपंच श्रीमती [illegible]बाई तड़वी ने आयोग के पदाधिकारियों का स्वागत किया। इस बैठक में ग्रामवासियों द्वारा आयोग को निम्नलिखित जानकारी दी गई:

1) इस गांव में जाने के लिए सूखी खाडी नदी पार करनी पड़ती है जिस पर कोई पुल नहीं है। ग्राम वासियों ने पुल निर्माण शीघ्र शुरू करने का अनुरोध किया । स्थानीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि इस पुल के निर्माण पर लगभग एक करोड रूपए का व्यय अनुमानित है तथा गुजरात पैटर्न में आदिवासी उपयोजना में इस कार्य हेतु रू. 50 लाख के बजट का प्रावधान रखा गया है। बाकी राशि का प्रावधान अगले बजट से किया जाएगा। आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय ने ग्राम वासियों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का निर्देश दिया।

2) कुछ ग्राम वासियों ने आयोग को जानकारी दी कि मनरेगा योजना के अंतर्गत परिवार को इकाई माना जाता है जिसके कारण समस्या आ रही है। यदि परिवार में 4–5 वयस्क सदस्य होते हैं तो एक माह में ही 100 दिनों का रोजगार प्राप्त हो जाता है। अतः सरकार को 100 दिनों के स्थान पर कम से कम 300 दिनों का रोजगार देना चाहिए अन्यथा व्यक्ति को इकाई मानकर 100 दिनों का रोजगार देना चाहिए। वर्ष के अधिकांश समय इस योजना में काम न मिलने के कारण इस क्षेत्र के लोग सूरत और अहमदाबाद जैसे स्थानों पर काम की तलाश में चले जाते हैं।

3) ग्राम वासियों ने आयोग को अवगत कराया कि चिकित्सा सुविधाओं हेतु स्वास्थ्य उप केन्द्र तीन कि.मी. दूर जैतपुर में है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता गांव में नियमित रूप से आते हैं तथा दवाइयां भी प्राप्त होती हैं। किन्तु लिमखेतक, जंतर, गड़ी एवं आंबा गांव, जो जैतपुर स्वास्थ्य उप–केन्द्र के अधीन है, की दूरी जैतपुर से 7–10 कि.मी. दूर है। इन गॉवों के लोगों को जैतपुर स्वास्थ्य उप केन्द्र पहुंचने के लिए कई बार सूखी खाड़ी नदी पार करनी पड़ती है। यदि पंचला ग्राम में स्वास्थ्य

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

...केन्द्र खोल दिया जाए तो इन गांवों के लोगों को सुविधा होगी। आयोग के अध्यक्ष महोदय ने ...अच्छा सुझाव बताया तथा जिले के अधिकारियों से इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का ...रोध किया।

4) पेयजल की उपलब्धता के बारे में पूछे जाने पर ग्रामवासियों ने बताया कि वन विभाग ने ...में पीने के पानी तथा सिंचाई हेतु चेक डैम बनाया है। सूखे मौसम में पानी की कुछ कमी होती ...। प्रशासन द्वारा गांव में बोरिंग कराई गई थी किन्तु पानी नहीं निकला। इस पर जिला कलेक्टर ...पुनः बोरिंग कराए जाने का आश्वासन दिया। कुछ ग्राम वासियों ने सिंचाई हेतु ड्रिप इरिगेशन ...लिफ्ट इरिगेशन सुविधाएं दिए जाने का अनुरोध किया। आयोग के अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ...जिले में स्थित सरदार सरोवर परियोजना से पूरे गुजरात एवं राजस्थान राज्यों को पानी ...ता है। राज्य के सुरेन्द्रनगर एवं कच्छ क्षेत्र में इस परियोजना का जल तीन बार लिफ्ट करके ...जाया जाता है। यहां तो एक बार ही लिफ्ट करने की जरूरत है। जिस क्षेत्र से सारे गुजरात को ...गिलता है, वहां के आदिवासी ही जलाभाव से परेशान हों, यह ठीक नहीं है। उन्होंने जिला ...क्टर को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया ।

5) आयोग के माननीय अध्यक्ष ने विद्यालय में कक्षा 5 में अध्ययनरत एक छात्र से गुजराती ...पुस्तक से एक अनुच्छेद पढ़ने को कहा किन्तु छात्र पढ़ नहीं सका। आयोग के माननीय अध्यक्ष ...य ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता जताई।

6) ग्रामवासियों ने बताया कि इस क्षेत्र में टमाटर का उत्पादन बडे पैमाने पर होता है तथा ...प्रति वर्ष हजारों रूपए की आय टमाटर बेचकर प्राप्त करते हैं। गांव में पांच महिला स्व ...ता समूह कार्य कर रहे हैं। पढ़ने वाली उम्र के सभी बच्चे विद्यालय आते हैं। विद्यालय में पांच ...हैं। ग्रामवासियों ने उक्त समस्याओं के अलावा सामान्यतः अपनी स्थिति अच्छी बताई। अध्यक्ष ...य ने इस पर संतोष जताया तथा समस्त ग्रामवासियों को आयोग के साथ चर्चा हेतु धन्यवाद दिया।

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

(1) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 29–9–2011 को जिला दाहोद (गुजरात) में ली गई जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

...

डा. रामेश्वर उरॉव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 29–9–2011 को जिला दाहोद में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें आयोग द्वारा जिले में अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की समस्याओं के बारे में चर्चा की गई । बैठक में श्रीमती के. कमला कुमारी एवं श्री बी.एल. मीणा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली भी उपस्थित थे। आयोग की ओर से बैठक में श्रीमती के.डी. बंसोर, उप निदेशक एवं श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक भी सम्मिलित हुए। बैठक में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला विकास अधिकारी, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, अनुसूचित जनजाति वर्ग के जन प्रतिनिधि तथा आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

बैठक के प्रारंभ में जिला कलेक्टर ने आयोग के पदाधिकारियों का स्वागत किया। तदुपरांत बैठक में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई:

(i) शिक्षा– बैठक में उपस्थित जन प्रतिनिधियों ने आयोग को यह जानकारी दी कि स्कूलों में शिक्षकों का नियमित रूप से उपस्थित न होना एक बड़ी समस्या है। समय–समय पर शिक्षकों को अन्य कार्यों में लगा दिया जाता है जिसके कारण पढ़ाई प्रभावित होती है। अतः शिक्षकों से दूसरे काम नहीं लिए जाने चाहिए। उन्होंने आयोग को यह भी अवगत कराया कि क्षेत्र के आदिवासियों में बच्चियों को ज्यादा पढ़ाने का रिवाज नहीं है। तथापि, आश्रम स्कूलों की संख्या बढाकर ही आदिवासी वर्ग में शिक्षा का प्रसार किया जा सकता है। जिला विकास अधिकारी ने चर्चा के दौरान बताया कि जिले में 800 शिक्षकों की कमी है तथा यह भी सही है कि शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव, सर्व शिक्षा अभियान, टीकाकरण अभियानों तथा विद्यालय भवन के निर्माण से जुड़े कार्यों में लगाई जाती है। इससे पढ़ाई पर असर पड़ता है। विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति लिए जाने की योजना शुरू की गई है। साथ ही विद्यालयों में आकस्मिक जांच भी की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आयोग को दी गई जानकारी की आधार पर कहा कि विभिन्न स्तर पर पढ़ाई छोड़ने (ड्रॉप आउट) की दर अधिक है तथा इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों के रिक्त पदों को भी शीघ्र भरे जाने का निर्देश दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि

Rameshwar Oraon

डॉ० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

विद्यालयों में, विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ग्राम शिक्षा समितियों को महत्वपूर्ण भूमिका दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षकों की उपस्थिति प्रमाणित किए जाने के बाद ही उनका वेतन आहरित किया जाता है। यह प्रयोग गुजरात में भी किया जा सकता है।

बैठक में कुछ आदिवासी प्रतिनिधियों ने जिले में झालोद तथा लीमखेड़ा में कन्याओं के लिए आवासीय विद्यालयों की जरूरत बताई। साथ ही रणधीरपुर, लीमखेडा तथा दाहोद में आदिवासी कन्याओं के लिए पोस्ट मेट्रिक हॉस्टल खोले जाने की भी मांग की। कुछ प्रतिनिधियों ने जिले में मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता भी बताई।

2. <u>स्वास्थ्य</u>– आयोग ने बैठक में यह जानना चाहा कि जिले में आदिवासी समुदाय में कौन सी मुख्य बीमारियां पाई जाती है। इस पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने आयोग को जानकारी दी कि सिकलसेल एनिमिया के मामले अधिक है तथा फालिक एसिड एवं लौह की गोलियों से इनका इलाज किया जाता है। इस बीमारी वाले युवक एवं युवतियों को परस्पर विवाह न करने की सलाह दी जाती है। जिले में मलेरिया का प्रकोप भी है जिसकी रोकथाम के लिए दवा का छिड़काव एवं मच्छरदानियों का वितरण किया जाता है। जिले में टीबी की बीमारी भी आदिवासी समाज में पाई जाती है जिसका मुख्य कारण रोजगार की तलाश में प्रवजन के दौरान अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में रहना एवं ठीक से खान–पान न करना है। पिछले 3 वर्षों में इस बीमारी से जिले में 270 मौतें हुई हैं। इसी अवधि में एड्स से 51 मौतें हुई हैं। बैठक में आयोग द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली गई। आयोग को यह अवगत कराया कि जिले में 65 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 332 स्वास्थ्य उप केंद्र हैं। 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक नहीं हैं। वे सामान्यतः आदिवासी क्षेत्रों में नौकरी नहीं करना चाहते हैं। जिले में 3 मोबाइल स्वास्थ्य यूनिट हैं। जिले में नर्सिंग विद्यालय भी है। अध्यक्ष महोदय ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डाक्टरों के 18 पद रिक्त होने पर चिंता व्यक्त की तथा सुझाव दिया कि आदिवासी इलाकों में काम करने वाले चिकित्सकों के लिए विशेष सुविधाएं एवं प्रोत्साहन होना चाहिए।

3. <u>बिजली</u>– आयोग के अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित आदिवासी प्रतिनिधियों से बिजली की उपलब्धता के बारे में जानकारी देने का अनुरोध किया। इस पर आयोग को बताया गया कि दीनदयाल गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत बिजली का कनेक्शन मिलने के बाद भी विगत तीन वर्षों से मीटर नहीं लग पा रहे हैं। कुल 35,000 कनेक्शन दिए जाने हैं जिसमें से लगभग 18,000 कनेक्शन ही दिए गए हैं। घरेलू उपयोग के लिए बिजली की सप्लाई ठीक से मिलती है किन्तु सिंचाई हेतु नहीं मिलती। सिंचाई हेतु बिजली का कनेक्शन लेने में चार वर्ष का समय लग जाता है। सिंचाई हेतु 6–8 घंटे ही बिजली मिलती है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने इस

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

पर सहमति व्यक्त की। साथ ही उन्होंने बकाया घरेलू कनेक्शन एवं सिंचाई हेतु प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निपटारा किए जाने का निर्देश दिया।

4) रोजगार– बैठक में आयोग ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के [illegible] के संबंध में भी जानकारी दी। बैठक में जिला विकास अधिकारी ने आयोग को अवगत कराया कि जिले में 2,76,598 जॉब कार्ड वितरित किए गए हैं जिसमें में 2,28,083 आदिवासी समुदाय के कार्ड हैं। जिले में रू. 125 करोड़ का लेबर बजट हैं जो कि राज्य में दूसरे नंबर पर है। [illegible] वर्ष रू. 81 करोड का काम कराया गया जिसमें से 1,38,497 जॉब कार्ड होल्डर काम पर आए जिन्हें 32 लाख कार्य दिवस का कार्य कराया गया। कुछ प्रतिनिधियों ने आयोग से मजदूरी के भुगतान में विलंब की शिकायत की जिस पर अध्यक्ष ने समय पर भुगतान किए जाने का निर्देश दिया। कार्य की प्रकृति के बारे में पूछे जाने पर आयोग को जानकारी दी गई कि जिले का धरातल [illegible] एवं वाटर शेड से संबंधित कार्यों के लिए अनुकूल है। इस योजना से प्रवजन में कमी आई है। फिर भी इसे रोका नहीं जा सका है क्योंकि बड़े शहरों में निर्माण कार्यों में मजदूरी करने पर अधिक पैसा प्राप्त होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि इस योजना के अंतर्गत परिवार के स्थान पर व्यक्ति को इकाई मानकर 100 दिनों का रोजगार दिया जाना चाहिए। साथ ही रोजगार उन दिनों में दिया जाना चाहिए जब आदिवासियों के पास खेती आदि का काम न हो। तभी प्रवजन रोका जा सकता है। जिला विकास अधिकारी ने इसे सहमति व्यक्त की तथा कहा कि इस योजना को मांग आधारित किया जाना उचित होगा।

5) कृषि– बैठक में आयोग को अवगत कराया कि इलाके में मक्के की फसल प्रमुखता से होती है। जिले में सनशाइन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसमें मक्के की खेती हेतु उन्नत बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें बी.पी.एल परिवारों को रू. 800/– देने पड़ते है तथा उर्वरक आदि भी उपलब्ध कराया जाता है। बैठक में कुछ प्रतिनिधियों ने बीज की गुणवत्ता अच्छी न होने की शिकायत की।

6) वन अधिकार कानून– आयोग ने बैठक में अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के कियान्वयन के बारे में भी चर्चा की। बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 20,150 दावे प्राप्त हुए थे तथा सब–डिविज़न स्तर की कमेटी द्वारा जिला स्तरीय समिति की ओर कुल 3,511 मामलों की संस्तुति की गई है। इस कमेटी द्वारा कुल 16,639 दावों को अमान्य किया गया है। सब–डिविज़न स्तर की कमेटी द्वारा जिला स्तरीय समिति को भेजे गए ,511 दावों में से 1,061 दावे मान्य किए गए है तथा 1,689 दावे अमान्य किए गए हैं। इस

Rameshwar Oraon

डॉ० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

समिति के पास 761 दावे निर्णय हेतु लंबित हैं। जिला स्तरीय समिति के पास कुल 671 अपीलें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 524 का निपटान कर दिया गया है। आयोग ने यह मत व्यक्त किया कि मान्य किए गए दावों की संख्या बहुत अधिक है तथा राज्य सरकार को सुझाव दिया कि दावों की पुनः समीक्षा की जानी चाहिए।

बैठक में आयोग द्वारा जानकारी मांगे जाने पर यह भी अवगत कराया कि सामुदायिक दावों में 22 दावे मान्य किए गए हैं।

<u>अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अनुपालन की समीक्षा</u>-- बैठक में आयोग द्वारा जिले में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अनुपालन की समीक्षा भी की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि वर्ष 2008, 2009, 2010 एवं 2011 (बैठक की तिथि तक) इस अधिनियम में क्रमशः [illegible], [illegible], 11 एवं 1 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें भी बलात्कार तथा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दर्ज अन्य मामले ही प्रमुख हैं। सभी मामलों में पुलिस द्वारा वैधानिक कार्यवाही की गई है। आयोग ने इस पर संतोष व्यक्त किया। आयोग को यह जानकारी भी दी गई कि इस क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा लूट--पाट एवं अन्य अपराध करने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है एवं शिक्षा के प्रसार तथा रोजगार उपलब्ध कराकर ही इसकी रोकथाम की जा सकती है। आयोग ने भी इस पर सहमति व्यक्त की।

बैठक के अंत में जिला कलेक्टर ने माननीय आयोग को जिले में आने एवं बैठक में मार्गदर्शन हेतु कृतज्ञता व्यक्त की।

Rameshwar Oraon

डॉ० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

1) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के दिनांक 29–9–2011 को ग्राम चांदवाना तालुका दाहोद, जिला दाहोद (गुजरात) के स्थलीय दौरे की रिपोर्ट।

...

डा. रामेश्वर उरॉव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने दिनांक 29–9–2011 को दाहोद जिले के दाहोद तालुका के आदिवासी बहुल गांव चांदवाना का स्थलीय दौरा कर ग्रामवासियों के साथ जिला कलेक्टर एवं अन्य स्थानीय अधिकारियों की उपस्थिति में एक बैठक की जिसमें अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के बारे में चर्चा की गई । बैठक में श्रीमती निर्मला कुमारी एवं श्री बी.एल. मीणा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली भी उपस्थित थे।यह बैठक गांव के पंचायत भवन में रखी गई थी। ग्राम के सरपंच श्री पराग भाई डामोर ने आयोग के पदाधिकारियों का स्वागत किया। इस बैठक में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी ग्रामवासियों द्वारा आयोग के पदाधिकारियों के साथ चर्चा में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई:

i) श्री बच्चू भाई भील, जो कि इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी है, ने आयोग को बताया कि उन्हें मकान निर्माण हेतु अब तक रू. 35,000 प्राप्त हो चुके हैं तथा विगत एक वर्ष से वे मकान बना रहे हैं। विलंब का कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उनके एवं परिवार के सदस्यों द्वारा मिल कर निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा परिवार के सदस्य रोजगार हेतु बाहर चले गए थे जिससे निर्माण में विलंब हो रहा है। आयोग ने मत व्यक्त किया कि निर्माण में विलंब होने से लागत में वृद्धि हो जाती है। अतः स्थानीय प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

ii) श्री रामा भाई राठौड ने बताया कि रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत उनका कुआँ (व्यक्तिगत) बनाया गया है तथा उन्हें इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए भी सहायता मिली है। कुआँ बनने से पीने के पानी की दिक्कत दूर हो गई है। उन्होंने बताया कि यदि कुआँ को और गहरा किया जाए तो सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाएगा। इंदिरा आवास हेतु कुल 45,000/– रूपए मिलते है जिसमें से पहली किश्त रू. 21,000/– अग्रिम दी जाती है। इसी प्रकार कुएँ की निर्माण हेतु एक समूह को रू. 1 लाख की सहायता मिलती है। उन्होंने आयोग को अवगत कराया कि इन योजनाओं से उन्हें तथा अन्य ग्राम वासियों को लाभ प्राप्त हुआ है तथा आर्थिक दिक्कतें कम हुई हैं।

iii) श्री सबूर भाई ने जानकारी दी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में उनके खेत में चेक वॉल बनाई गई है जिससे तालाब के पास स्थित उनके खेत में मिट्टी का अपरदन रुका है।

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरॉव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

बैठक में ग्रामवासियों ने आयोग को जानकारी दी कि उनके बच्चों को छात्रवृत्ति एवं पुस्तकें समय पर मिल जाती हैं। बड़ी लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल भी मिलती हैं। गांव के हितग्राहियों को सिलाई की मशीन भी दी गई हैं जिनमें से 12 महिलाएं हैं। ग्रामवासियों ने वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी संतोष व्यक्त किया।

आयोग के माननीय अध्यक्ष ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि शासकीय योजनाओं का लाभ आदिवासी समुदाय तक पहुंच रहा है एवं इससे उनमें खुशहाली आ रही है। बैठक के अंत में उन्होंने आयोग के साथ चर्चा हेतु ग्रामवासियों को धन्यवाद दिया।

Rameshwar Oraon

डॉ० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

(5) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 30–9–2011 को जिला पंचमहल (गोधरा), गुजरात में ली गई जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

...

डा. रामेश्वर उरॉव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 30–9–2011 को जिला पंचमहल (गोधरा) में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें आयोग द्वारा जिले में अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की समस्याओं के बारे में चर्चा की गई । बैठक में श्रीमती के. कमला कुमारी एवं श्री बी.एल. मीणा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली भी उपस्थित थे। आयोग की ओर से बैठक में श्रीमती के.डी. बंसोर, उप निदेशक एवं श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक भी सम्मिलित हुए। बैठक में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला विकास अधिकारी, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, अनुसूचित जनजाति वर्ग के जन प्रतिनिधि तथा आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

बैठक के प्रारंभ में जिला कलेक्टर ने आयोग के पदाधिकारियों का स्वागत किया। तदुपरांत आयोग के अध्यक्ष महोदय ने आयोग के दौरे के उद्देश्य के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में दौरों एवं बैठकों के माध्यम से आयोग को क्षेत्र में आदिवासियों की स्थिति तथा उनके विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के कियान्वयन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी लिए बैठकों में आदिवासी प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाता है ताकि वे विभिन्न कार्यक्रमों के कियान्वयन में दिखाई देने वाली कमियों के बारे में आयोग को अवगत करा सकें।

बैठक के प्रारंभ में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत जिले में किए जा रहे कार्यों के बारे में एक ऑडियो–विजुअल प्रस्तुति दिखाई गई। प्रस्तुतीकरण में वन बन्धु कल्याण योजना, समन्वित आदिवासी विकास परियोजना तथा प्रोजेक्ट सन शाइन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की झलक आयोग को दिखाई गई। बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गई:

1) शिक्षा– बैठक में आयोग ने जिले में शिक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी चाही। आयोग को यह बताया गया कि स्कूल जाने की आयु वाले शत–प्रतिशत बच्चों का नामांकरण किया जाता है। इसके लिए माह अप्रैल एवं मई में सर्वेक्षण किया जाता है तथा जून माह में शाला प्रवेश उत्सव आयोजित कर विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। यह पूछे जाने पर, कि प्रवजन करने वाले परिवारों के बच्चों की शिक्षा हेतु क्या प्रबंध किया जाता है, आयोग को अवगत कराया गया कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ऐसे बच्चों को माइग्रेशन कार्ड दिया जाता है ताकि वे उस स्थान पर

Rameshwar Oraon

डा. रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति
National Commission for Sche
भारत सरकार / Govt. of
नई दिल्ली / New De

आगे शिक्षा जारी रख सकें, जहां उनका परिवार काम के लिए जाता है। तथापि जिले में काम के लिए अन्य स्थानों पर जाने वाले आदिवासी अपने बच्चों को सामान्यतः नहीं ले जाते तथा वे परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के साथ गांव में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। आयोग के अध्यक्ष महोदय ने मत व्यक्त किया कि और अधिक आश्रम स्कूल खोलकर आदिवासी बच्चों की शिक्षा में सुधार किया जा सकता है तथा प्रवजन के कारण उनकी शिक्षा पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है।

विज्ञान की शिक्षा के बारे में जानकारी चाहे जाने पर आयोग को अवगत कराया गया कि जिले के सभी 11 ब्लॉकों में इंटरमीडिएट स्तर पर विज्ञान की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है। इसके आगे की पढ़ाई हेतु गोधरा तथा लुनावाडा में विज्ञान कॉलेज उपलब्ध हैं। जिले में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है तथा कई इंजीनियरिंग कॉलेज एवं फार्मेसी कॉलेज हैं। तथापि, बैठक में यह जानकारी आयोग को नही दी जा सकी कि इन कॉलेजों में कितने आदिवासी छात्र–छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष ने यह जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

शिक्षा की गुणवता के विषय में आयोग द्वारा जानकारी चाही गई जिसपर यह अवगत कराया गया कि राज्य में गुणोत्सव योजना के अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारी हर स्कूल में जाकर तीन दिन तक स्कूलों के काम काज की निगरानी करते हैं तथा स्कूलों को ए बी सी एवं डी ग्रेडिंग दी जाती है। हर वर्ष यह प्रयास किया जाता है कि विद्यालय की ग्रेडिंग में सुधार किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने इस योजना की प्रशंसा की। बैठक में यह भी बताया कि राज्य में कक्षा एक से पांच तक के स्कूलों को लोअर प्राइमरी एवं कक्षा छ से आठ तक के स्कूलों को अपर प्राइमरी स्कूल कहा जाता है। अपर प्राइमरी स्तर पर बी.एड शिक्षकों को नियुक्त किया जाता है। लोअर प्राइमरी स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 एवं अपर प्राइमरी स्तर पर 1:35 है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। तथापि अपर प्राइमरी स्तर पर शिक्षकों के 95 पद रिक्त हैं जिन्हें प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा।

बैठक में उपस्थित गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने आयोग को जानकारी दी कि जिले में स्कूलों में आधारभूत संरचना अच्छी है। सामान्यतः आदिवासी क्षेत्रों में स्कूलों में शिक्षक भी नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं। तथापि आदिवासी अभिभावकों को अपने बच्चों को पढ़ने हेतु स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किए जाने की जरूरत है। वन–बन्धु योजना के अंतर्गत बसें क्रय करके आदिवासी इलाकों में चलाई जा रही है ताकि बच्चे एवं शिक्षक स्कूल जा सकें। प्री मैट्रिक तथा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी समय से वितरित की जा रही है किन्तु इसकी राशि में वृद्वि की जानी चाहिए। बैठक में उपस्थित कुछ आदिवासी प्रतिनिधियों ने और अधिक संख्या में आश्रम स्कूल खोले जाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने आदिवासी कन्याओं की शिक्षा के लिए और अधिक प्रयास किए

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

जाने पर बल दिया। आयोग ने इस पर सहमति व्यक्त की एवं जिला कलेक्टर से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने को कहा।

2) कृषि एवं सिंचाई—बैठक में आयोग को अवगत कराया गया कि जिले में मुख्यतः धान, मक्का, अरहर एवं मूंक का उत्पादन होता है। विशेषकर मक्के की तीन फसलें ली जाती हैं। प्रोजेक्ट सन शाइन के तहत हाईब्रिड बीजों के उपयोग द्वारा मक्के का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में लाभार्थी को 800/– रू. में 8 किलो उन्नत बीज, 150 किलो खाद एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। बैठक में उपस्थित कुछ आदिवासी प्रतिनिधियों ने बीज मिलने में देरी एवं उनकी गुणवत्ता अच्छी न होने की शिकायत की। आयोग के अध्यक्ष ने जिला कलेक्टर को इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। सिंचाई की सुविधा के बारे में पूछे जाने पर आयोग को जानकारी दी गई कि मुख्यत कुओं के माध्यम से सिंचाई की जाती है। जिले में 7000 कुएँ हैं। रोजगार गारंटी योजना में भी कुएँ बनाए जा रहे हैं। 8 वर्ष पूर्व जिले में 35000 हेक्टेयर सिंचित भूमि थी जो अब बढ़कर एक लाख हेक्टेयर हो गया है। लिफ्ट इरिगेशन की सुविधा का भी विस्तार किया जा रहा है।

3) स्वास्थ्य— आयोग ने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से आदिवासियों में होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी चाही। आयोग को यह बताया गया कि सिकिल सेल एनिमिया, टी बी एवं कुष्ठ रोग मुख्य बीमारियां हैं। टी बी का मुख्य कारण कुपोषण है जबकि सिकिल सेल एनीमिया आनुवांशिक बीमारी है। जिले के लोग सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर ही अधिक निर्भर हैं। आयोग ने यह पाया कि जिले में मलेरिया के मामलों में हर वर्ष वृद्वि हो रही है। इसकी रोकथाम के संबंध में और अधिक प्रयास किए जाने की जरूरत है। आयोग को बताया गया कि जिले में सामान्यत डॉक्टरों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी नहीं है। जिले के 67 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से केवल एक में डॉक्टर नहीं है। आयोग ने इस पर भी शीध्र पदस्थापना किए जाने का निर्देश दिया। महिलाओं को उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में आयोग को जानकारी दी गई कि किशोर लड़कियों, जिनका वज़न 35 किलो से कम है, को मासिक आधार पर दवाएं, दालें एवं गेंहू दिया जाता है जिससे कि उनका वज़न बढ़ सके। छोटे बच्चों के लिए दूध संजीवनी योजना भी चलाई जा रही है। आयोग ने इन दोनों योजनाओं की सराहना की।

4) बिजली— आदिवासी क्षेत्रों में घरेलू उपयोग एवं सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता के बारे में आयोग द्वारा जानकारी मांगे जाने पर बैठक में उपस्थित आदिवासी प्रतिनिधियों ने कहा कि जिले में सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नही मिल पा रही है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत बी.पी.एल परिवारों को घरेलू उपयोग हेतु बिजली के कनेक्शन दिए गए है। इस बाबत अधिकारियों से पूछे जाने पर जानकारी दी गई कि सिंचाई के लिए बिजली के कनेक्शन हेतु प्राप्त

डॉ० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

Rameshwar Oraon

।। वाले आवेदनों में से वर्ष 2008 तक की आवेदनों का निपटान कर दिया गया है। इन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची लंबी है तथा सिलसिलेवार ढंग से कनेक्शन दिए जा रहे है। आयोग के अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार से उनकी आय में वृद्धि होगी इसलिए सिंचाई हेतु बिजली के कनेक्शन देने के मामले में गति लाए जाने की आवश्यकता है ताकि इसके लिए कोई प्रतीक्षा सूची न रहे।

5) वन अधिकार– आयोग द्वारा बैठक में अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के कियान्वयन की जानकारी भी ली गई।बैठक में आयोग को जानकारी दी गई कि इस अधिनियम के तहत कुल 23,666 दावे प्राप्त हुए थे जिसमें से 2,175 दावों को मान्य किया गया है। 19,911 दावों को अमान्य किया गया है। आयोग द्वारा यह पाया गया कि जिले में काफी अधिक संख्या में दावों को अमान्य किया गया है। इस पर जिला कलेक्टर द्वारा यह जानकारी दी गई कि अमान्य किए गए दावों की समीक्षा की कार्रवाई की जा रही है। आयोग के अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी पात्र लोगों को शीघ्र अधिकार पत्र दिए जाएं।

6) मनरेगा– आयोग ने बैठक में उपस्थित गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से यह जानकारी चाही कि इस योजना से आदिवासियों को कितना लाभ पहुंचा है। इन संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस योजना से काम की तलाश में आदिवासियों का प्रवजन बंद तो नही हुआ है किन्तु कुछ कम अवश्य हुआ है। इससे आदिवासी मजदूरों की bargaining power बढ़ी है तथा वे मजदूरी हेतु बाहर जाने हेतु अधिक मजदूरी चाहते हैं। इससे उन्हें लाभ हुआ है। जो लोग काम के लिए अन्यं शहरों का रुख नहीं करते, वे गांव में रहकर इस योजना का लाभ उठाते हैं।

7) पशु पालन– बैठक में आयोग को समन्वित डेयरी विकास परियोजना के अंतर्गत जिले में किए गए कार्यों की जानकारी दी गई। आयोग को यह अवगत कराया गया कि इस योजना के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को पांच हजार दुधारू पशु वितरित किए गए हैं। इससे बहुत से आदिवासी परिवारों की आय में वृद्धि हुई है। आयोग ने इसकी सराहना की ।

बैठक के अंत में आयोग के अध्यक्ष ने जिले के सभी अधिकारियों, आदिवासी प्रतिनिधियों एवं गैर सरकारी संगठनों के पदाधिकारियों को आयोग के साथ चर्चा हेतु धन्यवाद दिया। तदुपरांत जिला कलेक्टर ने आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण को मार्गदर्शन हेतु धन्यवाद दिया।

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 30–9–2011 को जिला खेडा (नाडियाड), गुजरात में ली गई जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

...

डा. रामेश्वर उराँव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 30–9–2011 (अपरान्ह) को जिला खेड़ा (नाडियाड) में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें आयोग द्वारा जिले में अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की समस्याओं के बारे में चर्चा की गई । बैठक में श्रीमती के. कमला कुमारी एवं श्री बी.एल. मीणा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली भी उपस्थित थे। आयोग की ओर से बैठक में श्रीमती के.डी. बंसोर, उप निदेशक एवं श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक भी सम्मिलित हुए। बैठक में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला विकास अधिकारी, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के जन प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

बैठक के प्रारंभ में जिला कलेक्टर ने आयोग के पदाधिकारियों का स्वागत किया। तदुपरांत उन्होंने आयोग को जानकारी दी कि जिले में कोई भी अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। इस जिले में आदिवासियों की आबादी किसी स्थान विशेष पर संकेन्द्रित नहीं है एवं बिखरी हुई है। जिले की कुल आबादी 20,24,216 हैं जिसमें से 32,394 (1.60 प्रतिशित) अनुसूचित जनजाति की है। इस जिले में अनुसूचित जनजाति के लोग खेती–बाड़ी के लिए आए थे तथा गांवों में सभी समुदायों के साथ रहते हैं।

बैठक में चर्चा आरंभ करते हुए आयोग के अध्यक्ष महोदय ने राज्य के विभिन्न जिलों में आयोग के दौरे के उद्देश्य पर प्रकाश डाला और कहा कि जिले के अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत आदिवासियों से चर्चा करके ही आयोग को विभिन्न सरकारी योजनाओं के कियान्वयन की स्थिति एवं उसमें आने वाली समस्याओं की जानकारी मिलती है। तदुपरांत उन्होंने आयोग द्वारा जिला कलेक्टर को भेजी गई प्रश्नावली के उत्तर में आयोग को प्राप्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की:

शिक्षा-- वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जिले की कुल साक्षरता 84.31 प्रतिशित है जिसमें से पुरूष साक्षरता 93.40 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 74.67 प्रतिशत हैं । वहीं अनुसूचित जनजाति वर्ग में कुल साक्षरता 44.50 प्रतिशित है जिसमें से पुरूष साक्षरता 56.80 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता मात्र 30.80 प्रतिशत ही है। आयोग ने अनुसूचित जनजाति वर्ग में साक्षरता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता जताई। विशेषकर, इस वर्ग में महिला साक्षरता पर अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। आयोग ने पाया कि जिले में स्कूल जाने योग्य बच्चों का नामांकन

डा. रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

Rameshwar Oraon

..-प्रतिशत हैं। साथ ही उन्हें छात्रवृत्ति भी नियमानुसार दी जा रही है। जिले में 3 इंजीनियरिंग ..लेज एवं एक फार्मेसी कॉलेज हैं। चूंकि अनुसूचित जनजाति के लोगों की आबादी किसी एक ..ान पर केंद्रित नहीं है और वे सभी समुदायों के साथ ही निवास करते है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र .. न्हे किसी विशेष समस्या का सामना नही करना पड़ रहा है।

स्वास्थ्य-- आयोग को जानकारी दी गई कि जिले में 51 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 11 ..ामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 301 स्वास्थ्य उप केंद्र हैं। जिले में आदिवासियों में सिकिल सेल ..िमिया की समस्या पाई जाती है। कुछ मामले टी.बी. के भी है किन्तु यह केवल अनुसूचित ..जातियों में ही हो, ऐसा नहीं है। टी.बी. के मरीजों को 1000/-- रू. प्रति माह प्रति मरीज ..ान किया जाता है जो कि 6 माह तक दिया जाता है। उन्हें डॉट्स दवा का वितरण भी किया ..ा रहा है।

मनरेगा -- बैठक में आयोग को यह जानकारी दी गई कि जिले में इस योजना के अंतर्गत ..ी काम कराए जा रहे हैं। वर्ष 2010--11 में 3925 हितग्राहियों को जॉब कार्ड दिए गए हैं एवं 398 हि..ाहियों को कार्य दिया गया है जिनसे 12,936 कार्य दिवस सृजित हुए है। इस पर रू. 10.07 ..ा का व्यय हुआ है। आयोग ने पाया कि इस योजना के अंतर्गत हितग्राही को 100 कार्य दिवस ..ा जाना अपेक्षित है किन्तु उन्हें काफी कम कार्य दिवस का कार्य दिया गया है। आयोग ने ..मां सुधार की आवश्यकता बताई।

पुनर्वास-- बैठक में आयोग द्वारा सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों के इस जिले में ..ास के मामले पर विशेष रूप से चर्चा की गई जिनमें अनुसूचित जनजाति के परिवारों की ..ा अधिक है। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में कुल 14 पुनर्वास बसाहटें हैं जिनमें 819 ..ापित परिवारों को बसाया गया है। इनमें से 634 परिवार अनुसूचित जनजाति के हैं । इन्हें ..। परिवार पांच एकड़ कृषि भूमि दी गई है तथा घर बनाने के लिए 500 वर्ग मीटर का प्लॉट ..ा गया है। घर बनाने के लिए रू. 45,000/--, सहायता भत्ता रू. 4,500/-- एवं कृषि उपकरण ..ने हेतु रू. 7000/-- की राशि सहायता के रूप मे दी गई है। सामान्यता कृषि भूमि नहरों के क..ड एरिया में है एवं कमांड एरिया से बाहर कृषि भूमि होने पर बोर से सिंचाई की सुविधा भी दी ..ई है। संपर्क सड़क, अंदरूनी सड़क, पीने के पानी के लिए हैंड पंप, स्ट्रीट लाइट प्राथमिक ..., पार्क एवं डिस्पेनसरी की सुविधा हर बसाहट में दी गई है। इस मामले में ट्राइब्यूनल एवं ..ीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही सारी कार्यवाही की गई है। बैठक में उपस्थित अनुसूचित जनजाति के ..तिनिधियों ने इस संबंध में आयोग को कोई शिकायत नहीं की अतः आयोग ने इसे संतोषजनक ..ाया।

बैठक के अंत में जिला कलेक्टर ने आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण को धन्यवाद दिया।

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

Rameshwar Oraon

(7) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 1–10–2011 को गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधी नगर में ली गई समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

...

डा. रामेश्वर उरॉव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 1–10–2011 को गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधी नगर में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें आयोग द्वारा विश्वविद्यालय में अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त सुरक्षणों एवं आरक्षण संबंधी नियमों के अनुपालन की समीक्षा की गई। बैठक में श्रीमती के. कमला कुमारी एवं श्री बी. एल. मीणा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली भी उपस्थित थे। आयोग की ओर से बैठक में श्रीमती के.डी. बंसोर, उप निदेशक एवं श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक भी सम्मिलित हुए। बैठक में विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर ई.वी. रामाकृष्णन, नोडल अधिकारी एवं विशेष कार्य अधिकारी श्री ए.एन. कुंजन्नी, कुल सचिव डॉ. गीतेश जोशी एवं अन्व वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। साथ ही विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राएं भी बैठक में शामिल हुए।

बैठक में सर्वप्रथम कुलपति ने आयोग के अध्यक्ष, सदस्यगण एवं अधिकारियों का स्वागत किया। तत्पश्चात आयोग के अध्यक्ष ने चर्चा प्रारंभ करते हुए कहा कि गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधी नगर की स्थापना हुए अभी अधिक समय नहीं हुआ है एवं विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों की स्थापना का दौर चल रहा है। इसीलिए आयोग ने विश्वविद्यालय में अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त सुरक्षणों के कियान्वयन की समीक्षा का निर्णय लिया ताकि यदि प्रारंभ में ही आरक्षण संबंधी नियमों का अनुपालन एवं इन वर्गों के छात्र–छात्राओं के कल्याण पर ध्यान दे दिया जाए तो आगे चलकर कोई गंभीर समस्या नही आएगी। इसके बाद आयोग से विश्वद्यिालय को भेजी गई प्रश्नावली के विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पर समीक्षा बैठक में निम्नलिखित बिन्दु उभरकर सामने आए:

1) विश्वविद्यालय की गवर्निंग बॉडी/विभिन्न समितियों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य कितने हैं, यह जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। आयोग ने यह जानकारी शीघ्र से भिजवाने का निर्देश दिया।

2) विश्वविद्यालय की सेवाओं में सीधी भर्ती में अनुसूचित जनजाति को समूह क एवं ख में 7.5 प्रतिशत तथा समूह ग एवं घ में 15 प्रतिशत (गुजरात सरकार की सेवाओं में आरक्षण संबंधी नीति के अनुसार) आरक्षण दिया जा रहा है। चूंकि विश्वविद्यालय अभी हाल में ही स्थापित हुआ है अतः अभी तक किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की पदोन्नति नहीं की गई है। आयोग ने भविष्य में होने

Rameshwar Oraon

डॉ० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

भी पदोन्नतियों में अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखने का निर्देश दिया।

3) नवगठित विश्वविद्यालय होने के कारण यहां कार्यरत कर्मचारियों की संख्या काफी कम है। अतः यहां किसी कर्मचारी संगठन अथवा अ.जा/अ.ज.जा कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का गठन नहीं किया गया है।

4) शैक्षणिक पदों में प्रोफेसर के 5 भरे हुए पदों में अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। एसोसिएट प्रोफेसर का कोई भी पद भरा नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पद प्रतिनियुक्ति से भरा गया है तथा 34 पद संविदा के आधार पर भरे हैं जिसमें से अनुसूचित जनजाति के 2 कर्मचारी (5.88 प्रतिशत) कार्यरत हैं। नियमानुसार यहां अ.ज.जा वर्ग का एक और कर्मचारी होना चाहिए था।

5) अशैक्षणिक पदों में समुह क के 7 एवं समूह ख के 4 अधिकारियों में अ.ज.जा वर्ग से कोई नहीं है। समूह ग के 25 कर्मचारियों में से अ.ज.जा वर्ग के 3 कर्मचारी (12 प्रतिशत) हैं। इस श्रेणी में अ.ज.जा हेतु 15 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए। उक्त बिन्दु 4 एवं 5 के बारे में विश्वविद्यालय द्वारा जानकारी दी गई कि रोस्टर बनाने का काम किया जा रहा है जो शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। इस पर आयोग ने निर्देश दिया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी पदों के रोस्टर तैयार कर आयोग को इस बाबत जानकारी दी जाए।

6) विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2009, 2010 एवं 2011 के दौरान की गई नियुक्तियों से संबंधित जानकारी के अनुसार अ.ज.जा. हेतु आरक्षित पदों पर नियुक्तियां की गई हैं तथा कोई shortfall नहीं है।

7) विश्वविद्यालय द्वारा अ.जा/अ.ज.जा हेतु संपर्क अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है। आयोग के अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि संपर्क अधिकारी शीघ्र नियुक्त किया जाए एवं उनके नियंत्रण में अ.जा/अ.ज.जा प्रकोष्ठ गठित किया जाए। साथ ही इसका विश्वविद्यालय में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि इस वर्ग के कर्मचारी एवं छात्र अपनी शिकायतों के निवारण हेतु संपर्क कर सकें। संपर्क अधिकारी को प्राप्त होने वाली शिकायतों एवं उनके निराकरण का लेखा जोखा भी रखा जाए। संपर्क अधिकारी, विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए जाने वाले रोस्टरों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करें एवं आयोग को उसकी एक प्रति भेजें। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

8) बैठक में आयोग की ओर से यह सुझाव दिया गया कि समान वेतनमान, स्तर, योग्यता एवं स्वभाव वाले पदों की ग्रुपिंग के संबंध में डी.आ.पी.टी. द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाए ताकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को लाभ मिल सके।

9) बैठक में आयोग को यह जानकारी भी दी गई कि सीधी भर्ती हेतु गठित विभिन्न चयन समितियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं। पदोन्नति हेतु नियम तैयार किए जाने के बाद पदोन्नति समितियों की बैठकों में भी इन वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। आयोग ने यह जानकारी चाही कि सीधी भर्ती हेतु गठित चयन बोर्डों में इन वर्गों के सदस्यों के बारे में पृथक से जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

10) बैठक में चर्चा से यह ज्ञात हुआ कि विश्वविद्यालय द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों का साक्षात्कार सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से पहले, पृथक ब्लॉक में लिया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा आयोग को आश्वासन दिया गया कि भविष्य में इन वर्गों के उम्मीदवारों का साक्षात्कार पृथक दिन में लिया जाएगा। आयोग द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन को यह सलाह दी गई कि अपनी मेरिट के आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु चुने गए आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को रोस्टर में अनारक्षित पदों के विरूद्व दर्शाने संबंधी डीओपीटी के निर्देशों का पालन किया जाए।

11) आयोग द्वारा जानकारी मांगे जाने पर अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में नियुक्तियों हेतु चयन परीक्षा सुविधा की दृष्टि से केवल गांधी नगर में ही ली जाती है। आयोग द्वारा सुझाव दिया गया कि राजपीपला, दाहोद जैसे आदिवासी बहुल जिलों में परीक्षा केंद्र होने से अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में मिल सकेंगे। साथ ही चयन बोर्ड भी सीधी भर्ती हेतु आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भेजे जा सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा इस मामले का परीक्षण करने का आश्वासन दिया गया है।

12) आयोग द्वारा चाही गई जानकारी के उत्तर में विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि विभिन्न विभागों में जूनियर फेलोशिप, सीनियर फेलोशिप तथा सलाहकार के पदों पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं है। आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को सलाह दी गई कि अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्र–छात्राओं को भी फेलोशिप प्रदान करने के प्रयास किए जाएं ताकि विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यकमों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

13) विश्वविद्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2009–10 में एम.फिल/पी.एच.डी हेतु वर्तमान संचालित तीन पाठ्यकमों में 10 छात्र प्रति पाठ्यकम के हिसाब से कुल 30 छात्रों को प्रवेश दिया जाना था जिसमें से हर पाठ्यकम में एक–एक सीट (कुल 3) अनुसूचित जनजाति हेतु

Rameshwar oraon

डॉ० रामेश्वर उराँव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India

आरक्षित थी। अगले वर्ष 2010–11 में एम.फिल/पी.एच.डी एवं स्नातकोत्तर के कुल 10 पाठ्यक्रमों में 145 छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया जाना था जिनमें से 14 सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित थीं। वर्ष 2011–12 में इन पाठ्यक्रमों की संख्या बढकर 18 हो गई जिनमें 355 छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया जाना था जिसमें से 26 सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित थी। आयोग द्वारा यह देखने में आया कि विगत तीन वर्षों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित बहुत सी सीटें भरी नहीं जा सकीं क्यों कि या तो चयनित छात्र ने प्रवेश नहीं लिया अथवा इन वर्गों के किसी छात्र ने प्रवेश हेतु आवेदन ही नहीं किया। आयोग ने इसे गंभीरता से लिया और सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु जारी होने वाले विज्ञापनों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए एवं इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी रखा जाए। इन पाठ्यक्रमों एवं इनमें उपलब्ध सीटों के बारे में राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों, कॉलेजों एवं अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी वाले राज्यों को भी जानकारी दी जानी चाहिए ताकि सीटें रिक्त न रहें।

14) विश्वविद्यालय के भवन एवं छात्र–छात्राओं के रहने के लिए हॉस्टल सुविधा के बारे में भी आयोग द्वारा जानकारी ली गई। आयोग को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय वर्तमान में गुजरात सरकार द्वारा आवंटित अस्थाई परिसर में कार्य कर रहा है इसमें हॉस्टल चलाने हेतु स्थान नहीं है इसलिए राज्य सरकार ने कैम्पस के निकट ही कुछ फ्लैट उपलब्ध कराए हैं जिसमें जरूरतमंद छात्राओं को रहने की सुविधा दी गई है। अनुसूचित जनजाति वर्ग की सभी छात्राओं को, जिन्होंने हॉस्टल में प्रवेश हेतु आवेदन दिया, को स्थान आवंटित किया गया है। वर्तमान में अनुसूचित जनजाति के 12 छात्राएं वहां निवासरत हैं। अनुसूचित जनजाति के छात्रों को रहने के लिए हॉस्टल का प्रबंध अभी नहीं है। आयोग के अध्यक्ष ने विश्वविद्यालय प्रशासन को सलाह दी कि जब ही विश्वविद्यालय को भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटन कर दिया जाए, अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं के रहने के लिए केन्द्रीय सहायता से हॉस्टल के निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास भिजवाए जाए ताकि पढाई में असुविधा न हो।

विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति ने आयोग को आश्वासन दिया कि बैठक में उभरकर आई कमियों का निराकरण किया जाएगा एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों तथा छात्र छात्राओं के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बैठक के अंत में उन्होंने आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को मार्गदर्शन हेतु धन्यवाद दिया।

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

नई दिल्ली / New Delhi

(31) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 2–10–2011 को गांधीनगर में गुजरात के विभिन्न विश्वविद्यालयों के अनुसूचित जनजाति के प्राध्यापक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ ली गई बैठक का कार्यवृत्त।

...

डा. रामेश्वर उरॉव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की दिनांक 2–10–2011 को प्रातः 8.30 बजे गुजरात के विभिन्न विश्वविद्यालयों के अनुसूचित जनजाति के प्राध्यापक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई जिसमें उन्होंने अपनी विभिन्न समस्याओं से आयोग को अवगत कराया। बैठक में श्रीमती के. कमला कुमारी एवं श्री बी.एल. मीणा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली भी उपस्थित थे। राज्य सरकार की ओर से श्री आर.एम. पटेल, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं श्री जी.आर. चौधरी, आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, गुजरात सरकार भी उपस्थित थे। बैठक में एसोसिएशन की ओर से गुजरात विश्वविद्यालय, एवं गुजरात विश्वविद्यालय, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, साबरमती कला तथा विज्ञान विश्वविद्यालय आदि स्थानों से आए प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। बैठक में एसोसिएशन के वक्ताओं द्वारा आयोग को अपनी निम्नलिखित समस्याओं से अवगत कराया गया:

1) गुजरात के विभिन्न विश्वविद्यालयों की सीनेट, सिंडिकेट तथा समितियों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों का प्रतिनिधित्व नहीं है जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों का उल्लंघन है।

2) राज्य में 9 विश्वविद्यालय हैं तथा इनमें से किसी भी विश्वविद्यालय में अनुसूचित जनजाति वर्ग से कुलपति नहीं बन सके हैं। वस्तुतः अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्राध्यापक, प्रोफेसर भी नहीं बन पाते है।

3) एम.फिल तथा पी.एच.डी पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों का प्रवेश सामान्यतः नहीं हो पाता एवं सीटें खाली रह जाती हैं।

4) सभी विश्वविद्यालयों में अ.जा/ अ.ज.जा सेल का गठन किया जाना चाहिए तथा इन सेलों को प्रभावी ढंग से काम करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

5) सभी विश्वविद्यालयों में आरक्षण संबंधी नियमों का पालन नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित बहुत से शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पद रिक्त हैं जिन्हें भरा नहीं जा रहा है।उदाहरण के रूप में सरदार पटेल विश्वविद्यालय में रिक्त एव आरक्षित शैक्षणिक पदों को

डा. रामेश्वर उरॉव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

24 Rameshwar oraon

भरा जा रहा है। विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों में रोस्टरों का पालन नहीं किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग पदों को विशेष भर्ती अभियान द्वारा शीघ्र भरा जाना चाहिए ।

6) उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों से सत्र के प्रारंभ में ही फीस नहीं ली जानी चाहिए। गुजरात में विद्यार्थियों से सत्र के प्रारंभ में फीस ली जाती है एवं बाद में सरकार द्वारा फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। इन वर्गों के छात्रों को भारी भरकम फीस जुटाने में असुविधा होती है एवं कई बार इसी वजह से वे पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं ले पाते।

7) विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की सुविधा हेतु हॉस्टल खोले जाने चाहिए क्यों कि उनमें से अधिकतर आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण किराए के मकान में नहीं रह सकते। विशेष रूप से अहमदाबाद एवं गांधी नगर में इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है।

8) गुजरात में सूरत अथवा वडोदरा में राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय की शाखा खोली जाए ताकि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें।

बैठक में आयोग को दी गई उपरोक्त जानकारी के आधार पर आयोग के अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित अतिरिक्त मुख्य सचिव, गुजरात सरकार को निर्देश दिया कि वे आरक्षित पदों को भरने, आरक्षण संबंधी नियमों को अनुपालन तथा विद्यार्थियों के हित से जुडे विभिन्न बिंदुओं पर प्रभावी कार्रवाई करें और इस बारे में हुई प्रगति की जानकारी आयोग को दे। विशेष कर सरकार इस बात पर विचार करें कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से कोई फीस न ली जाए एवं विश्वविद्यालय द्वारा सीधे संबंधित संस्थान को फीस की प्रतिपूर्ति की जाए। उन्होंने बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों को आयोग के साथ चर्चा कर आदिवासी हितों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों देने के लिए धन्यवाद दिया।

Rameshwar Oraon

डॉ० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

(ix) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 2–10–2011 को साबरमती आश्रम, अहमदाबाद का भ्रमण।

...

दिनांक 2–10–2011 (गांधी जयंती) को 11.00 बजे आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण अहमदाबाद में साबरमती आश्रम गए। वहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन एवं कार्यों तथा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े छाया चित्रों, पत्रों एवं विभिन्न अभिलेखों से जुड़ी प्रदर्शनी देखी। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में कई वर्ष रहे थे जहां उनके द्वारा उपयोग में लाई गई कई वस्तुएं तथा उनकी प्रतिकृति रखी हैं। उन्होंने आश्रम में चरखा भी चलाया एवं वहां रखी अतिथि पुस्तिका में अपने विचार लिखे।

(x) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 2–10–2011 को 13.00 बजे आदिवासी अनुसंधान संस्थान, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद का भ्रमण।

...

दिनाक 2–10–2011 को 13.00 बजे आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण आदिवासी अनुसंधान संस्थान, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद गए। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित यह विद्यापीठ आज भी जीवन मूल्यों एवं विचारों के आधार पर संचालित होती है। विद्यापीठ के कुलपति ने आयोग के पदाधिकारियों का स्वागत किया। आयोग ने वहां संस्थान द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों का जायजा लिया । विशेष रूप से आयोग ने संस्थान द्वारा किए जा रहे शोध कार्यों में रुचि ली। आयोग ने यहां पाया कि संस्थान द्वारा आदिवासियों के कल्याण हेतु चलाए जा रहे कुछ कार्यक्रमों के उनके सामाजिक आर्थिक स्तर पर होने वाले प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन किया गया है। आयोग ने सुझाव दिया कि मनरेगा योजना के कियान्वयन एवं आदिवासियों की स्थिति में इस योजना के कारण आए परिवर्तन, विशेष कर रोजगार की तलाश में प्रवजन के संदर्भ में –अध्ययन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार वन अधिकार अधिनियम के कियान्वयन सरीखे नए विषयों को भी अध्ययन में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

Rameshwar Oraon

डॉ. रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

(iii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 3–10–2011 को गुजरात में आदिवासियों हेतु कार्यरत विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ ली गई बैठक का कार्यवृत्त।

...

डा. रामेश्वर उरॉव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने दिनांक 3-10–2011 को गांधीनगर में आदिवासियों हेतु कार्यरत विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जिसमें उन्होंने आदिवासियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं एवं उनके विकास की स्थिति से आयोग को अवगत कराया। बैठक में श्रीमती के. कमला कुमारी एवं श्री बी.एल. मीणा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली भी उपस्थित थे। राज्य सरकार की ओर से श्री आर.एम. पटेल, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं श्री जी.आर. चौधरी, आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, गुजरात सरकार भी उपस्थित थे। बैठक में आगा खां रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, मानव कल्याण ट्रस्ट, श्रॉफ फाउंडेशन, लोक सेवा ट्रस्ट, नवरत्न एजुकेशन सोसाइटी, आश्रमशाला एवं जीविका प्रोजेक्ट सहित कई अन्य संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में विभिन्न विषयों पर निम्नानुसार चर्चा की गई:

<u>शिक्षा</u>

1) सभी प्रतिनिधियों द्वारा आयोग को यह जानकारी दी गई कि अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ रही है। अब सामान्यतः इस वर्ग के बच्चे स्कूल जाते हैं तथा अभिभावक भी उन्हें स्कूल भेजना चाहते हैं। बहुत से अभिभावक तो अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। चूंकि बच्चे केवल स्कूल में ही पढ़ते हैं, घर में नहीं इसलिए गांव के पढ़े–लिखे युवकों/युवतियों को इन्हें स्कूल के बाद पढ़ाने के लिए तैयार किया जाना चाहिए।

2) आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल स्कूलों की संख्या बढाई जानी चाहिए ताकि अनुसूचित जनजाति के बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। इन्हें हर तालुका में खोला जाना चाहिए। इस वर्ष इनमें प्रवेश के लिए 26,000 बच्चे परीक्षा में बैठे जबकि केवल 750 सीटें ही उपलब्ध थी। अतः इसकी आवश्यकता सर्वाधिक है।

3) अपर प्राइमरी के बाद पढ़ने के लिए लड़कियों को गांव से दूर जाना होता है इसलिए वे अपनी पढ़ाई आगे नहीं जारी रख पाती। आदिवासी समाज को स्त्री शिक्षा के प्रति विशेष रूप से जागरूक किए जाने की आवश्यकता है।

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

(i) पढ़े–लिखे आदिवासी युवक युवतियों को कम्प्यूटर एवं अन्य प्रोफेशनल शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उन्हें रोजगार भी मिल सकें। स्वाभाविक झिझक के कारण इस समाज के बच्चे साक्षात्कार में सफल नहीं हो पाते जबकि उनकी जानकारी का स्तर ठीक रहता है। इनके व्यक्तित्व विकास पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ताकि वे अपने आपको भली भांति व्यक्त कर सकें।

(ii) आदिवासी क्षेत्रों के विद्यालयों में अच्छे शिक्षकों की तैनाती पर और ध्यान दिए जाने की जरूरत है। विशेष कर कक्षा 11वी एवं 12वी में पढ़ाने के लिए गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी के शिक्षकों की कमी है। तकनीक के प्रयोग जैसे वीडियो कॉफ्रेंसिंग के प्रयोग से शिक्षा प्रदान की जा सकती है। विद्यालयों में प्रयोगशालाएं भी नहीं हैं।

(iii) विभिन्न स्तरों पर पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। छात्राओं की शिक्षा के लिए और अधिक हॉस्टलों की जरूरत है। हॉस्टल में रहने पर रू. 750/– प्रति छात्रा की राशि मिलती है जो कि काफी कम है।

स्वास्थ्य

(i) आदिवासी समाज में स्वच्छता के प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है ताकि बीमारियों से बचा जा सके ।

(ii) आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कार्यप्रणाली और सुधारी जानी चाहिए ताकि बीमारियों की रोकथाम संभव हो सके।

(iii) आदिवासी महिलाओं में एनिमिया एक गंभीर समस्या है। इसके निदान के लिए और अधिक प्रयास किए जानी चाहिए। Leptospirosis की बीमारी राज्य के कुछ क्षेत्रों में काफी फैल रही है। इससे बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो गई है। इसके नियंत्रण हेतु विशेष प्रयासों की आवश्यकता है।

(iv) वयस्क होते लड़कियों के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए एवं उन्हें पोषक आहार तथा लौह की गोलियां दी जानी चाहिए ताकि वे स्वस्थ्य बनी रहें।

पेयजल

सामान्यत मैदानी इलाकों में पेयजल उपलब्ध है किन्तु पहाड़ी इलाकों में इसकी कमी है। मुख्य रूप से सामुदायिक कुओं एवं हैन्ड पंपों के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध होता है। हर गांव में एक जल समिति बनाई गई है जो इस संबंध में योजना बनाती है। नंदी फाउंडेशन द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में दो रूपए में 20 लीटर पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

2.8 Rameshwar Oraon

डॉ० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित ...
National Commission for ...
भारत सरकार / Govt. ...

रोजगार

1. आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी दूर करने एवं पलायन रोकने के लिए कृषि का विकास आवश्यक है। यदि सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जाए तो किसान दो फसलें ले सकते हैं। इससे उन्हें रोजगार एवं आय प्राप्त होगी। वर्तमान में वे एक फसल ही ले पा रहे हैं तथा फसल लेने के बाद बाकी महीनों में दूसरा रोजगार करते हैं। जीविका प्रोजेक्ट द्वारा किसानों को सब्जी उत्पादन तथा विक्रय हेतु सब्जी बाजार तक लाने की परियोजना पर काम किया जा रहा है । प्रोजेक्ट सनशाइन द्वारा मक्के के उत्पादन में वृद्वि की जा रही है।

2. भूमिहीनों को विभिन्न परियोजनाओं में शामिल करने की जरूरत है अन्यथा गरीबी दूर नहीं हो सकेगी।

3. वन बन्धु कल्याण योजना के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में काफी अच्छा काम हो रहा है तथा लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यह योजना विशेष रूप से आदिवासियों पर ही केंद्रित है।

गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद आयोग के अध्यक्ष महोदय ने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले इन संगठनों के प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने बैठक में उपस्थित होने के लिए सभी प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया।

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

(12) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 3–10–2011 को सचिवालय, गुजरात सरकार, गांधीनगर में ली गई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

...

डा. रामेश्वर उरांव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 3-10-2011 को सचिवालय, गुजरात सरकार, गांधीनगर में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली गई जिसमें आयोग द्वारा राज्य में अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों एवं आरक्षण संबंधी नियमों के कियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में श्रीमती के. कमला कुमारी एवं श्री बी.एल. मीणा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली भी उपस्थित था। आयोग की ओर से बैठक में श्री आदित्य मिश्रा, संयुक्त सचिव, श्रीमती के.डी. बंसोर, उप निदेशक एवं श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक भी सम्मिलित हुए। राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के माननीय मंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, आयुक्त आदिवासी विकास विभाग एवं विभिन्न विभागों के सचिव भी बैठक में उपस्थित थे।

बैठक के प्रारंभ में माननीय मंत्री, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग ने आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात राज्य सरकारी की ओर से वन बन्धु कल्याण योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों पर एक प्रस्तुतिकरण दिखाया गया। बैठक में आयोग को अवगत कराया गया कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र 12 पूर्वी जिलों में फैले हैं जिनमें 43 तालुका, 15 पॉकेट तथा चार क्लस्टर सम्मिलित हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी 506.71 लाख थी जो कि बढ़कर वर्ष 2011 में 603.83 लाख हो गई। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी 74.81 लाख थी जो कि राज्य की कुल आबादी का 14.76 प्रतिशत थी।

आयोग के अध्यक्ष ने बैठक में चर्चा शुरू करते हुए कहा कि आयोग देश विभिन्न राज्यों के आदिवासी बहुल क्षेत्रों का दौरा कर विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के कियान्वयन की स्थिति का जायजा लेता है एवं स्थानीय अधिकारियों और आदिवासियों से मिलकर इन योजनाओं के कियान्वयन में आने वाली समस्याओं से अवगत होता है। विशेषकर आदिवासी ग्रामों में जाकर वहां की स्थिति देखकर तथा ग्रामीणों से चर्चा करके आयोग द्वारा राय बनाई जाती है। गुजरात राज्य के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों के दौरे में भी आयोग को राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कई अच्छे कार्यों की जानकारी प्राप्त हुई है जिनमें विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए चलाई जा रही गुणोत्सव योजना एवं वन बन्धु कल्याण योजनाएं प्रमुख हैं। साथ ही किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य में सुधार हेतु लौह व विटामिन की गोलियों के साथ पढ़ाई जारी रखने पर उन्हें 35 किलो

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति
National Commission for Sch.
भारत सरकार / Govt. of
नई दिल्ली / New Delhi

प्रा व दालें देने की योजना भी सराहनीय है। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनमें राज्य सरकार से और अधिक सुधार अपेक्षित हैं। जैसे कि आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, विशेषकर बालिका शिक्षा की स्थिति में और अधिक सुधार किया जाना चाहिए। इन्टरमीडिएट एवं कॉलेज स्तर पर विज्ञान की शिक्षा उपलब्ध कराना, विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी के योग्य शिक्षकों की तैनाती, प्रयोगशाला स्थापित करना आदि शामिल हैं। इसी प्रकार इन क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में योग्य डॉक्टर तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञों की तैनाती पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है क्योंकि लोग सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर ही निर्भर हैं। गुजरात एक तीव्र गति से प्रगति करता हुआ राज्य है तथा विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को एक समान मिलना चाहिए। तत्पश्चात् उन्होंने आयोग के संयुक्त सचिव को आयोग द्वारा राज्य सरकार को भेजी गई समीक्षा बैठक की प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर समीक्षा का निर्देश दिया। साथ ही विभिन्न जिलों के दौरे में आदिवासी प्रतिनिधियों से हुई चर्चा के आधार पर उनकी मांगों , अपेक्षाओं एवं समस्याओं का उल्लेख करने हेतु आयोग के साथ आए अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में हुई चर्चा के आधार पर निम्नलिखित बिन्दुओं पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही अपेक्षित है।:

1) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल साक्षरता 64.19 प्रतिशत थी जिसमें से पुरुष साक्षरता 79.66 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 57.80 प्रतिशत थी। किन्तु राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग में यह साक्षरता केवल 47.74 प्रतिशत ही थी जिसमे से पुरूष साक्षरता 59.2 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता मात्र 36.0 प्रतिशत थी। इसे स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में, विशेष कर आदिवासी महिलाओं में शिक्षा के प्रचार–प्रसार एवं निरंतरता के लिए काफी अधिक प्रयासों की जरूरत है।

2) आदिवासी क्षेत्र के विभिन्न जिलों के दौरे में इस समाज के प्रतिनिधियों ने विज्ञान की शिक्षा के लिए और अधिक संख्या में स्कूल एवं कॉलेज खोलने की जरूरत बताई। जहां पर विज्ञान की शिक्षा उपलब्ध है, वहां पर शिक्षकों एवं प्रयोगशालाओं की कमी है। आयोग द्वारा गणित एवं अंग्रेजी की शिक्षा में सुधार की जरूरत भी महसूस की गई। कुछ क्षेत्रों में आदिवासी प्रतिनिधियों ने रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा देने की भी मांग की। आयोग को यह जानकारी भी प्राप्त हुई है कि आदिवासी क्षेत्रों में स्थित कुछ विद्यालयों का 5वीं एवं 8वीं का परीक्षा परिणाम शून्य प्रतिशत रहा है। आयोग के सज्ञान में यह बात भी आई है कि शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण आदिवासी क्षेत्रों के कक्षा 5 में पढ़नेवाले बच्चे अपनी पाठ्यपुस्तक नहीं पढ़ पाते। अतः राज्य सरकार को उक्त कमियों को दूर करने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे।

3) विभिन्न जिलों में आदिवासी प्रतिनिधियों ने एकलव्य मॉडल स्कूलों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता बताई। इन विद्यालयों में पढ़ रहे आदिवासी बच्चों को उपलब्ध सुविधाओं एवं

डॉ. रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

Rameshwar Oraon

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सराहना की गई किन्तु इनमें सीमित सीटें होने एवं बड़ी संख्या में प्रवेश से वंचित रह जाने की शिकायत भी की गई। आदिवासी प्रतिनिधियों के अनुसार राज्य सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से चल रहे छात्रावासों की वजह से ही आदिवासी समाज के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने हेतु प्रेरित हुए हैं। तथापि छात्रावास में रहने वाले बच्चों को प्राप्त छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की जरूरत बताई गई।

4) आयोग ने यह पाया कि वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक के तीन वर्षों में राज्य का कुल प्रावधानित बजट रू. 23,500 करोड़ से बढ़कर रू. 37,152 करोड़ हो गया है एवं आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत प्रावधान भी रू. 3566.02 करोड से बढ़कर रू. 4848.72 करोड हो गया है किन्तु इन तीन वर्षों में ही आदिवासी उपयोजना के प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है जो 15.20 प्रतिशत से घटकर 13.05 प्रतिशत रह गया है जबकि आदर्श स्थिति में यह राज्य की अनुसूचित जनजाति की आबादी (14.76 प्रतिशत) के अनुरूप होना चाहिए।

5) आयोग ने यह पाया कि राज्य में विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों में से केवल एक तिहाई सीटें ही भरी जा सकी हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2008–09 में कुल 10,031 सीटों में से 3765, वर्ष 2009–10 में 11,358 सीटों में से 4871 एवं वर्ष 2011–12 में 12,992 सीटों में से 4829 सीटें ही भरी जा सकीं। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति हेतु दो तिहाई के करीब सीटें खाली रह गईं। अतः राज्य सरकार को ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राएं उपलब्ध सीटों पर प्रवेश लेकर लाभान्वित हो सकें।

6) आयोग ने यह पाया कि आदिवासी क्षेत्रों के कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की कमी है । साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी विशेषज्ञों की कमी है। राज्य में आदिवासी समुदाय में सिकिल सेल एनिमिया की बीमारी प्रमुखता से होती है। इसकी रोकथाम हेतु जागरूकता का प्रसार आवश्यक है। आदिवासियों में लेप्टोस्पिरोसिस बीमारी का प्रकोप भी पाया गया जिसकी वजह से बहुत से लोगों की मृत्यु हुई हैं। इसको नियंत्रित करने के लिए और अधिक उपाय किए जाने चाहिए।

7) नर्मदा जिले के कई आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पेयजल एवं सिंचाई सुविधाओं की कमी है। इसी जिले में सरदार सरोवर परियोजना स्थित है जहां से राज्य के विभिन्न भागों में नहरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता हैं। आदिवासी प्रतिनिधियों द्वारा मांग की गई है कि यहां उपलब्ध पानी को केवल एक बार लिफट करने से ही उनकी पानी एवं सिंचाई की समस्या दूर हो जाएगी। राज्य के दूरस्थ भागों में तीन बार लिफट करके पानी पहुंचाया जा रहा है। अतः राज्य सरकार को इस संबंध में एक कार्ययोजना बनाकर पानी की कमी दूर करनी चाहिए।

Rameshwar Oraon

डॉ० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

8) आयोग ने यह पाया कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के अंतर्गत राज्य में प्राप्त व्यक्तिगत दावों में से बड़ी संख्या में दावे अमान्य कर दिए गए हैं। विभिन्न जिलों के दौरे में समीक्षा बैठकों में यह बात उभरकर सामने आई। अमान्य किए गए दावों की बहुत बडी संख्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को ऐसे मामलों की पुनः समीक्षा करनी चाहिए।

9) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य में हर हितग्राही को औसतन 45 दिनों का रोजगार दिया जा रहा है जबकि न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार दिया जाना अपेक्षित है। आयोग को दाहोद जिले के दौरे में इस योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों के भुगतान में विलंब की शिकायतें प्राप्त हुई। इस संबंध में राज्य सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए।

10) आयोग ने राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर यह पाया कि आदिवासियों की भूमि हस्तांतरण के 800 मामले लंबित हैं। बॉबे लैन्ड रेवन्यू कोड, 1879 की धारा 73 ए ए के तहत अनुसूचित जनजातियों की भूमि के हस्तांतरण को रोकने का वैधानिक उपाय किया गया है। आयोग ने राज्य सरकार से इन मामलों का शीघ्र निपटान करने का अनुरोध किया।

11) आयोग द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के क्रियान्वयन की समीक्षा में यह बात सामने आई कि वर्ष 2006 से वर्ष 2010 के बीच पुलिस द्वारा विवेचना में लंबित प्रकरणों की संख्या में वृद्धि हो रही है तथा बहुत से मामलों में 90 दिनों के भीतर विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में पेश नहीं किया जा सका। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

12) आयोग ने यह भी पाया कि राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज किए गए मामलों में न्यायालयों द्वारा सुनाए गए फैसलों में सजा की दर काफी कम है। वर्ष 2008 में निर्णीत मामलों में से केवल 13 मामलों में सजा हुई एवं 216 मामलों में आरोपी बरी हो गए। वर्ष 2009 में निर्णीत 151 मामलों में से 15 मामलों में ही सजा हुई एवं 136 मामलों में आरोपी बरी हो गए। इसी प्रकार वर्ष 2010 में निर्णीत 294 मामलों में से केवल 6 मामलों में ही सजा हुई एवं 288 मामलों में आरोपी बरी हो गए। अतः आयोग का यह मत है कि इस अधिनियम के तहत दर्ज किए गए मामलों में पुलिस द्वारा की जा रही जांच की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए, अच्छे सरकारी वकीलों की नियुक्ति की जानी चाहिए एवं गवाहों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

13) राज्य सरकार द्वारा आयोग को दी गई जानकारी के आधार पर आयोग ने यह पाया कि राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत न्यायालय में विचारण हेतु लंबित मामलों की संख्या काफी अधिक हैं। वर्ष 2006 से 2011 (जून) तक

डॉ० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

Rameshwar Oraon

की अवधि में न्यूनतम 816 एवं अधिकतम 1057 मामले न्यायालय में लंबित रहे हैं। इस ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

11. आयोग द्वारा राज्य सरकार से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अंतर्गत गवाहों को दिए जाने वाले यात्रा भत्ते एवं मजदूरी क्षतिपूर्ति की राशि के बारे में जानकारी भी चाही गई जो कि उस समय उपलब्ध नहीं थी। आयोग ने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि कई राज्यों में यह राशि काफी कम है एवं यदि गुजरात राज्य में भी मजदूरी क्षतिपूर्ति की राशि कम हो तो इसे युक्तियुक्त बनाया जाना चाहिए।

12. आयोग द्वारा राज्य सरकार से उसकी सेवाओं में अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्गवार संख्या के बारे में जानकारी चाही गई थी जो कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। आयोग ने यह जानकारी उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया। आयोग ने यह पाया कि राज्य की सेवाओं में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित बैकलॉग रिक्त पदों की संख्या में गिरावट आ रही है किंतु अभी भी काफी पद भरे नहीं जा सके हैं। वर्ष 2006 में अनुसूचित जनजाति के 6,399 बैकलॉग पद रिक्त थे जो कि वर्ष 2007 में घटकर 5,192, वर्ष 2008 में 4,559, वर्ष 2009 में 3,014 एवं वर्ष 2010 में 1,543 रह गए हैं। आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि विशेष भर्ती अभियानों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के रिक्त एवं बैकलॉग पदों को समयबद्ध योजना के तहत भरा जाए। आयोग ने राज्य के विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित रिक्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों को भरने के लिए शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया क्योंकि विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों ने आयोग के साथ बैठक में इस बाबत शिकायत की है।

आयोग के अध्यक्ष ने अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कई प्रयासों की सराहना की और बैठक में उपस्थित अधिकारियों से अनुरोध किया कि इन वर्गों के विकास के लिए और अधिक उत्साह से कार्य करें ताकि विकास की दौड़ में इस समाज के लोग पीछे न रह जाएं। बैठक के अंत में राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव ने आयोग का आभार व्यक्त किया ।

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आ
National Commission for Sched
भारत सरकार / Govt. of I
नई दिल्ली / New Delhi

(1[illegible]) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 3–10–2011 को गांधी नगर में गुजरात राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों की जिला पंचायतों एवं तालुका पंचायतों के अध्यक्षों के साथ ली गई बैठक का कार्यवृत्त।

...

डा. रामेश्वर उरॉव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने दिनांक 3–10–2011 को गांधीनगर में गुजरात राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों की जिला पंचायतों एवं तालुका पंचायतों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में जन प्रतिनिधियों द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर आराम से चर्चा की गई:

1) आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल, आवास एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता है। स्थानीय संस्थाओं को इस संबंध में और अधिक अधिकार तथा बजट उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

2) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम के प्रावधानों को राज्य में नियमानुसार लागू किया जाना चाहिए। अधिनियम के प्रावधनों के अनुसार खनिज, वनों एवं जमीन संबंधी मामलों में ग्राम सभा की स्वीकृति ली जानी चाहिए किन्तु इसकी अवहेलना की जा रही है।

3) आदिवासी क्षेत्रों में स्थित कई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में योग्य चिकित्सक पदस्थ नहीं हैं। इस कमी को दूर किया जाना चाहिए क्योंकि इन क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोग सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर ही निर्भर हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञों की भी कमी है।

4) आदिवासी बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए कोचिंग सेन्टरों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। तभी ये बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर अच्छे संस्थानों में प्रवेश ले पाएंगे।

5) आदिवासी क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की उपलब्धता बढाई जानी चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा मिट्टी के तेल का कोटा कम कर दिये जाने के कारण आदिवासी अंचलों में लोगों को समस्या हो रही है।

6) अनुसूचित जनजाति के लोगों को घर बनाने के लिए वनों से लकड़ी एवं निकट में उपलब्ध पत्थर लेने की छूट मिलनी चाहिए। इससे मकान की लागत कम आएगी और गरीब आदिवासियों को लाभ होगा।

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

(i) तापी परियोजना के अंतर्गत उकाई बांध के निर्माण के कारण विस्थापित होने वाले लोगों का पुनर्वास किया जाना चाहिए। जिन लोगों की भूमि इस परियोजना के अंतर्गत ली गई है, उन्हें [illegible] दी जानी चाहिए। इन लोगों को पशु–पालन हेतु सहायता दी जानी चाहिए तथा चारा भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(ii) आदिवासी क्षेत्रों में तैनात किए जाने वाले अधिकारियों को इन क्षेत्रों से जल्दी–जल्दी स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए ताकि विकास योजनाओं के संचालन में गति बनी रहे। उन्हें एक न्यूनतम पूर्व निर्धारित अवधि के लिए इन क्षेत्रों में पदस्थ किया जाना चाहिए।

बैठक के अंत में आयोग के अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी जिला पंचायत व तालुका पंचायत अध्यक्षों को धन्यवाद दिया।

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

(11) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 3–10–2011 को गांधी नगर में गुजरात राज्य के माननीय मुख्य मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ मुलाकात।

...

डा. रामेश्वर उराँव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने दिनांक [illegible]-2011 को अपराह्न 15.30 बजे गांधीनगर में गुजरात राज्य माननीय मुख्य मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी [illegible] साथ मुलाकात की। उनके साथ श्रीमती के.कमला कुमारी एवं श्री बी.एल. मीना, माननीय [illegible]गण भी थे। माननीय मुख्य मंत्री ने आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया। [illegible]श्चात आयोग ने गुजरात राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के अपने दौरे के बारे में उन्हें विस्तार से [illegible]कारी दी।

आयोग ने राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे कुछ [illegible]क्रमों की प्रशंसा की जिनमें वन बन्धु कल्याण योजना एवं गुणोत्सव प्रमुख थे। राज्य सरकार [illegible] इन वर्गों के कल्याण हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक के दौरान उभरकर आए [illegible] एवं आदिवासी क्षेत्रों के दौरे में आयोग को प्राप्त जानकारी के आधार पर आयोग ने सुझाव [illegible] कि इन क्षेत्रों में शिक्षा, विशेष कर आदिवासी बालिकाओं की शिक्षा पर और अधिक ध्यान दिए [illegible] की आवश्यकता है। आयोग द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों एवं कॉलेजों में विज्ञान, [illegible] एवं अंग्रेजी विषयों के योग्य शिक्षकों की तैनाती तथा विज्ञान प्रयोगशालाओं को स्थापित [illegible]/उन्हें प्रभावी बनाने का सुझाव दिया गया। आयोग ने राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी [illegible] आधार पर यह मत व्यक्त किया कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति हेतु [illegible] सीटों में से लगभग एक तिहाई ही भरी जा सकी हैं। अतः विज्ञान की पढ़ाई में सुधार [illegible] ही इन सीटों का पूरा उपयोग किया जा सकता है। आयोग ने राज्य में गुजरात पैटर्न के [illegible] बजट प्रवाह के मॉडल की सराहना की।

आयोग ने राज्य सरकार को आदिवासी सलाहकार समिति की बैठक नियमित रूप से करने [illegible] सलाह दी। साथ ही अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, [illegible] के तहत दर्ज मामलों में से जांच हेतु लंबित मामलों की संख्या में हो रहे बढ़ोतरी को गंभीरता [illegible]। इस संबंध में गवाहों को दिए जाने वाली मजदूरी क्षतिपूर्ति तथा यात्रा भत्ते में वृद्धि की [illegible]कता भी बताई गई।

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

माननीय श्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री ने आयोग को चर्चा हेतु धन्यवाद दिया एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने का आश्वासन दिया। आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण ने भी आयोग के दौरे में सहयोग हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया।

Rameshwar Oraon

डॉ० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

([illegible]) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 3–10–2011 को गांधी नगर में गुजरात की महामहिम राज्यपाल श्रीमती कमला बेनीवाल के साथ मुलाकात ।

डा. रामेश्वर उरॉव, माननीय अध्यक्ष,, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने दिनांक 3–10–2011 को अपराह्न 17.30 बजे गांधीनगर में गुजरात की महामहिम राज्यपाल श्रीमती कमला बेनीवाल के साथ सौजन्य मुलाकात की। उनके साथ श्रीमती के.कमला कुमारी एवं श्री बी.एल. मीना, माननीय सदस्यगण भी थे।

महामहिम राज्यपाल के साथ चर्चा में आयोग ने उन्हें गुजरात राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के अपने दौरे के बारे में उन्हें विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान आयोग द्वारा संविधान के पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की गई। उन्हें राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में बालिका शिक्षा पर और अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत बताई गई। इन क्षेत्रों में विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषयों की शिक्षा हेतु शिक्षकों की तैनाती तथा स्कूलों/कॉलेजों में विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना किए जाने पर जोर दिया गया। चर्चा में आयोग ने आदिवासी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में योग्य चिकित्सकों की तैनाती एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञों की कमी दूर करने पर बल दिया। आयोग द्वारा राज्य में आदिवासी सलाहकार परिषद की बैठकें नियमित रूप से किए जाने की जरूरत बताई गई। अंत में परस्पर अभिवादन के साथ मुलाकात संपन्न हुई।

Rameshwar Oraon.

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi